इजारी N/s मूला बो० T.S. सिवायी

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| | |

24/4/25 वकील प्रार्थी उप० । वास्ते संशोधित नक्शा व तलबी अप्रार्थी सं. 1, 2, 3/1 से 3/3 व 4 पत्रा दि. 28/5/25 को पेश हो।

28/5/25

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...2/5/25 को पेश हो।

रीडर

2/5/25 वकील उभयपक्ष उप० । अप्रार्थी सं० 3/1 से 3/3 के अभिभाषक ने जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। वास्ते जवाब व तलबी अप्रार्थीगण सं० 1, 2, 4 हेतु पत्रावली दिनांक 11.6.25 को पेश हो।

11.6.25

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/7/25 को पेश हो।

रीडर

30/7/25 वकील उभयपक्ष उप० । अप्रार्थीगण सं० 3/1 से 3/3 ने जवाब हेतु समय चाहा परंतु पूर्व में कई अवसर दिए जा चुके थे अतः इनके जवाब पेश करने का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली [illegible] वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 19/8/25 को पेश हो।

19/8/25 वकील उभयपक्ष उप० । बहस [illegible] प्रार्थी ने भूमि ख. नं. 146, 398 ग्राम [illegible] को सिवायी में लेने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि के अप्रार्थीगण द्वारा वेस्ट, डैमेज एवं एलीनियेट किये जाने का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में प्रश्नगत भूमि को सिवायी में लेने का कोई औचित्य नहीं है। अतः सिवायी प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मुताबिक दाखिल दफ्तर संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:11 IST
Reason: SelfAttested